न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 12/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.
महावीर पुत्र धन्ना जाति बैरवा निवासी उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिला कलक्टर) बांदीकुई
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई 87, गंगा विहार कालोनी, रावत होटल के पीछे, दौसा जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम विरूद्ध अवार्ड आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई।

उपस्थित– 1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 27.02.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिला कलक्टर) बांदीकुई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.148 एन दौसा के अंतर्गत ग्राम उनबडागांव में स्थित खसरा नंबर 1012 व 1014 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिला कलक्टर) बांदीकुई से बिन्दुवार तत्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1882(अ) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन हेतु ग्राम ऊनबडागांव तहसील बसवा की कृषि भूमि खसरा नंबर 1012 व 1014 रकबा 0.25 व 0.39 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवाप्त की गई थी। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार व काबिज है तथा उक्त भूमि में प्रार्थी ने भूमिगत प्लास्टिक की पाईप लाईन जो करीब 400 मीटर लंबी व ढाई इंच चौडी पाईप लाईन व 400 मीटर लंबी सीमेन्ट की पाईप लाईन जो 6 इंच चौडी है व 3 कुण्ड पानी भरने के जिनकी गहराई 6 फीट व चौडाई 6 फीट है तथा उक्त वर्णित भूमिगत पाईन लाईन व कुण्डो का प्रार्थी स्वयं मालिक है तथा प्रार्थी द्वारा काफी खर्चा कर भूमिगत पाईप लाईन व पानी के कुण्डो का निर्माण किया है जिसमें काफी खर्चा हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 1012 व 1014 की भूमि का मुआवजा का निर्धारण तो कर दिया गया व अवार्ड जारी कर दिया जबकि भूमिगत पाईप लाईन प्लास्टिक व सीमेन्ट व पानी के कुण्डो का कोई मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया। जबकि कानूनन व नियमानुसार अवाप्तशुदा भूमि में स्थित पाईप लाईन व कुण्डो का मुआवजे का निर्धारण किया जाकर मुआवजा दिलाया जाना न्यायसंगत था परन्तु अप्रार्थी नंबर 1 ने प्रार्थी को वर्णित पाईप लाईन व पानी के कुण्डो का कोई मुआवजे का निर्धारण ही नहीं किया और ना ही कोई मुआवजा राशि प्रार्थी को नहीं दिलाई इसलिए भू अवाप्ति अधिकारी का निर्धारण आदेश विधिविरूद्ध है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित पाईप लाईन व पानी का कुण्डो का मुआवजा दिलाने हेतु उप जिला कलेक्टर भू अवाप्ति अधिकारी को दिनांक 17.12.2020को प्रार्थना पत्र भी दिया। परन्तु इन

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

तमाम तथ्यों के बावजूद भी अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा ना तो पाईप लाईन व कुण्डो के संबंध में पुनः मुआवजा का निर्धारण किया और न ही कोई मुआवजा राशि निर्धारित की और कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। उक्त तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी नंबर 1 का मुआवजा अवार्ड आदेश कानून व नियम विरूद्व है क्योंकि अप्रार्थी नंबर 1 ने अवाप्तशुदा भूमि में पाईप लाईन व पानी के कुण्डो के बाबत कोई मुआवजे का निर्धारण ही नहीं किया इसलिए पुनः मुआवजा का निर्धारण किया जाकर मुआवजा राशि दिलाया जाना आवश्यक है। इसलिए भी अप्रार्थी नंबर 1 अवैधानिक होने के कारण भी निरस्तनीय है। अप्रार्थी नंबर 1 ने दिनांक 30–1–22 को पुनः मुआवजा का निर्धारण करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी जाने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी नंबर 1 का अवार्ड आदेश में संशोधन करने हेतु अप्रार्थी नंबर 1 को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र के चरण नंबर 2 में अंकित भूमिगत पाईप लाईन व पानी के कुण्डो का मुआवजा का पुनः निर्धारण कर भूमि के साथ–साथ भूमिगत पाईप लाईन व पानी के कुण्डो का भी मुआवजा प्रार्थी को नियमानुसार दिलवाने के आदेश प्रदान करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई ने प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 1012 व 1014 वाके ग्राम उनबडागांव में से भूमि अवाप्त की गई थी जिसका नियमानुसार मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया जा चुका है। प्रार्थी गलत आधारों पर मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने बहस में कथन किया कि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा धारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 556 (अ) दिनांक 30.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों समाचार जगत व राजस्थान पत्रिका दोनो में दिनांक 08.02.2019 के अंको में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि खसरा नम्बर 1012 की 0.25 हैक्टेयर चाही–1/जाव–1 एवं खसरा नम्बर 1014 की 0. 2816 चाही– 1 वाके ग्राम ऊनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 तहत 100 प्रतिशत वृद्धि की जाकर मुआवजा निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की धनराशि भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा– 30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या एसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं [illegible] अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मूल्यांकन/सत्याप[illegible] से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.खण्ड,सिकन्दरा के द्वारा सक्षम [illegible]कारी को उपलब्ध करवायी गयी जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों आदि का मुआवजा निर्धारित किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त मद में यह कथन किया है कि प्रार्थी को पाईप लाईन व पानी के कुण्डों का कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

के अनुसार भूमि पर स्थित स्थायी संरचना का ही मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है जबकि प्रार्थी के द्वारा बतायी गयी पाईप लाईन व पानी का कुण्ड स्थायी संरचना में नहीं आता है ऐसी स्थिति में विधि अनुसार पाईप लाईन व कुण्ड् की कोई मुआवजा राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारित कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है व मात्र इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की धनराशि भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा– 30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र मेंकिसी सक्षम इंजीनियर या एसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मूल्यांकन / सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से करा कर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड, सिकन्दरा के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी गयी जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों आदि का मुआवजा विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही नर्णय पारित कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है व मात्र इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकरी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमिअर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि/निर्माण की मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (5) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारित कर सकती है इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दूओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है व मात्र इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी किसी प्रकार को अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा जो अवार्ड पारित किया गया है सह संपूर्ण [illegible] एवं तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे [illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:31 IST
Reason: SelfAttested

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड [illegible] प्राप्त की गई जिसके अनुसार *ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा [illegible] नंबर 1012 व 1014 में से 0.25है. व 0.* 2816है. भूमि दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी, जिसका मुआवजा भुगतान लाभार्थियों को किया जा चुका है। खसरा नंबर 1012 व 1014 में स्थित भूमिगत प्लास्टिक की पाईप लाईन व सिंचाई हेतु बनाये गये छोटे कुण्डों की मुआवजा राशि निर्धारित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

करने का प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार नहीं है। इस कारण ना तो सर्वे करवायी गई है और ना ही मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार द्वारा जांच कर प्रमाणित करने के उपरांत विधिवत प्रकिया पूर्ण कर पारित किया गया है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

- पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा स्थित भूमि खसरा नंबर 1012 व 1014 में से 0.25है. व 0. 2816है. भूमि दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। उक्त भूमि खसरा नंबर 1012 की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 9,33,625/—रू0 एवं खसरा नंबर 1014 की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 10,51,636/—रू. का अवार्ड पारित किया गया है।
- प्रार्थी ने उक्त अवाप्तशुदा भूमि में स्थित भूमिगत प्लास्टिक की पाईप लाईन 400 मीटर लंबी व ढाई इंच चौडी पाईप लाईन व 400 मीटर लंबी सीमेन्ट की पाईप लाईन जो 6 इंच चौडी है व 3 कुण्ड पानी भरने के जिनकी गहराई 6 फीट व चौडाई 6 फीट है का मुआवजा निर्धारण करने बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि पाईप लाईन या कुण्ड उनके खेत में स्थित थी। पानी की पाईप लाईन एक चल संपत्ति है जिसे कि प्रार्थी भूमि अवाप्ति के समय हटा सकते थे।
- प्रार्थी द्वारा एनएचएआई द्वारा दिये गये जवाब के बिन्दु सं0 3 की ओर ध्यान आकर्षित कर यह कथन किया है कि एनएचएआई द्वारा यह स्वीकार किया गया है पानी की पाईप लाईन व पानी का कुण्ड मौके पर मौजूद थे। हमने एनएचएआई के जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें एनएचएआई द्वारा यह अंकित किया है कि " प्रार्थी के द्वारा बताई गई" अतः एनएचएआई द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया है किन्तु प्रार्थी द्वारा कही गई बात को मात्र दोहराया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन है जिसे हम खारिज किये जाने योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा पारित मुआवजा अवार्ड आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:31 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official